

भाग II — खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ti. 171] . No. 171] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 19, 2007/माघ 30, 1928

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 19, 2007/MAGHA 30, 1928

पर्यावरण और वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2007

का, आ, 253(अ), —केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के आदेश संख्यांक का. आ, 489 (अ), तारीख 30 अप्रैल, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त आदेश के पैरा 1 में, ''दो वर्ष की अवधि के लिए'' शब्दों के स्थान पर, ''चार वर्ष और आठ मास की अवधि के लिए'' शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. जेड. 20018/1/99-सीपीए]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: - मूल आदेश भारत के राजपत्र में का. आ. 489 (अ), तारीख 30 अप्रैल, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया था और का. आ. 56(अ), तारीख 14 जनवरी, 2005 द्वारा उसमें पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 19th February, 2007

S.O. 253 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 489(E), dated the 30th April, 2003, namely:—

In the said Order, in paragraph 1, for the words "for a period of two years", the words "for a period of four years and eight months" shall be substituted.

[F.No. Z. 20018/1/99-CPA]

R. K. VAISH, Jt. Secy.

Note:— The principal Order was published in the Gazette of India vide number S.O. 489(E), dated 30th April, 2003 and subsequently amended vide S.O. 56 (E), dated 14th January, 2005.